

दिनांक
हुकम

प्र.सं. 51/20
2020/00094

अर्थात् 212 RTA
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मदन लाल वगैर जीतू गार्ड कोश

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल में
जारी हुए

14/12/21

पतापती पेशा डरि, उभय पक्ष अधिवक्ता
उपस्थित। अधिवक्ताओं के बहस सुनी गयी।
एक पक्ष में उपस्थित दो पक्षों में
अपलोडिंग डिफा गवा। उचित पक्ष में
वर्षित विवादित भूखि पार्स की रजिस्ट्रार
भूखि हैं। विपक्षी गण का इस भूखि से
कोई लेन देन नहीं है। भौत भूखि
दोनों पक्षों के मध्य किसी तरह का
सीमा विवाद ही तो अपनी भूखि का
सीमांकन दोनों ही पक्ष स्वतंत्र हैं
इस आधार पर धारा 51(6) 2020 को
जारी अन्तर्गत (प्रमाण आदेश) को बन्द
डिफा गवा है। आदेश दिया जाता है
कि उक्त पक्षों के बीच का रेफरेंस में सिद्ध भूखि
उभय पक्षों 0.45 है। भूखि पार्स की
रजिस्ट्रार भूखि है। अतः विपक्षी गण
के विरुद्ध इस आदेश की अन्तर्गत
विवेचना जारी की जाती है। कि
मूल पक्ष के गिनावरण लक्ष
पार्स के वल्ले भारत में किसी प्रकार
की दरमल दाजी न तो स्वयं करें
न किसी अन्य से कराये। व पार्स
को वे दरमल नहीं करें। पतापती को लक्ष
सुझा दिया गया है कि उक्त

[Handwritten signature]
/



[Handwritten signature]
14/12/2021



सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
गयपुर (मीलबाडा)